उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

रेभुन्यु रिवीजन (Revenue Revision)वाद सं0 :– 17 / 2021–22

विजय शंकर सिंह
बनाम
अमर बड़ाईक

अपीलार्थी श्री विजय शंकर सिंह पिता–स्व0 ललन प्रसाद सिंह ग्राम–विशुनपुर पोस्ट–विशुनपुर थाना–विशुनपुर जिला–गुमला वर्त्तमान पता ग्राम–रामचन्द्र बसउली थाना–कुधनी जिला–मुजफ्फरपुर के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–22 / 2017–18 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के Revenue Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी का पक्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा विशुनपुर के खाता सं0–51 प्लॉट सं0–466 रकबा–0.10 एकड़ भूमि झारखण्ड सरकार की भूमि है को कलांतर में Bihar privileged persons homestead Tenancy Act के अन्तर्गत वाद सं0–02 / 75–76 से निर्मला देवी को बन्दोबस्त किया गया था। निर्मला देवी सकलदेव सिंह की दूसरी पत्नी थी और वह नावल्द थी। निर्मला देवी के मृत्यु के पश्चात उसके पति सकलदेव सिंह हिन्दु विधि मुताबिक प्रश्नगत भूमि को प्राप्त किये। इस तरह से सकलदेव सिंह प्रश्नगत जमीन का स्वामित्व प्राप्त किया तथा अपनी पुत्रबधु देवरानी देवी के हित में निबंधित वसीयतनामा दिनांक–31.05.2004 को किया था, तथा सकलदेव सिंह के मृत्यु के पश्चात देवरानी देवी और उसके पुत्रगण प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हुए। देवरानी देवी विगत दस वर्षो से गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, तथा अपने पूर्वजों के साथ बिहार में रह रही थी जिसका लाभ उठाकर उत्तरवादी प्रश्नगत जमीन में नजायज दावा विना किसी हक अधिकार के करने लगे। अपीलार्थी वापस विशुनपुर आये तथा मालगुजारी रसीद कटाने अंचल कार्याल गये तो पाया कि उत्तरवादी अपने नाम प्रश्नगत जमीन का दाखिल खारिज करा लिया है, तब अपीलार्थी द्वारा रिवीजन वाद श्रीमान के न्यायालय में दायर किया गया। उत्तरवादी अपने आप को निर्मला देवी का दतक पुत्र दर्शाते हुए फर्जी तरीके से फर्जी कागजात के आधार पर दाखिल खारिज निम्न न्यायालय में कराया है। निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी को निर्मला देवी का दत्तक पुत्र घोषित करते हुए दाखिल खारिज किया जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। उत्तरवादी द्वारा सकलदेव सिंह के अन्य वारिशों को छुपाया गया है और धोखा–धड़ी से अपने नाम प्रश्नगत जमीन का दाखिल खारिज कराया है।

अपीलार्थी के द्वारा निम्न अपीलीय न्यायालय में पारित आदेश को खरिज करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी का पक्ष

उतरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया है विवादित जमीन मौजा–विशुनपुर थाना–विशुनपुर थाना नं0–55 खाता सं0–51/2 प्लॉट सं0–466 रकबा–0.10 एकड़ भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी ग्राम–विशुनपुर में कभी नही रहा है सिर्फ जमीन पाने की लालच में यह झुठा वाद दायर किया गया है। विवादित भूमि का भू–स्वामी निर्मला देवी पति सकलदेव सिंह है। विवादित भूमि Bihar privileged persons homestead Tenancy Act 1948 के द्वारा निर्मला देवी को प्राप्त है। निर्मला देवी चीक बडाईक (S.T) परिवार के अन्तर्गत आती थी। उक्त जमीन उसे प्राप्त था तथा प्राप्त जमीन भी S.T Land के अन्तर्गत है। निर्मला देवी ग्राम–विशुनपुर का निवासी थी, जिसका अन्तर्जातीय विवाह सकलदेव सिंह से विशुनपुर में किया गया था तथा दोनो पति पत्नी विशुनपुर में निवास करती थी। उनका कोई संतान नही होने पर उत्तरवादी अमर चीक बड़ाईक को दत्तक पुत्र के रुप में शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार किया गया तथा अपने जीवनकाल में ही चल व अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी अमर चीक बड़ाईक को बनाई थी। निर्मला देवी उत्तरवादी अमर चीक बड़ाईक की दादा की बहन थी। वंशावली निम्न प्रकार है:–

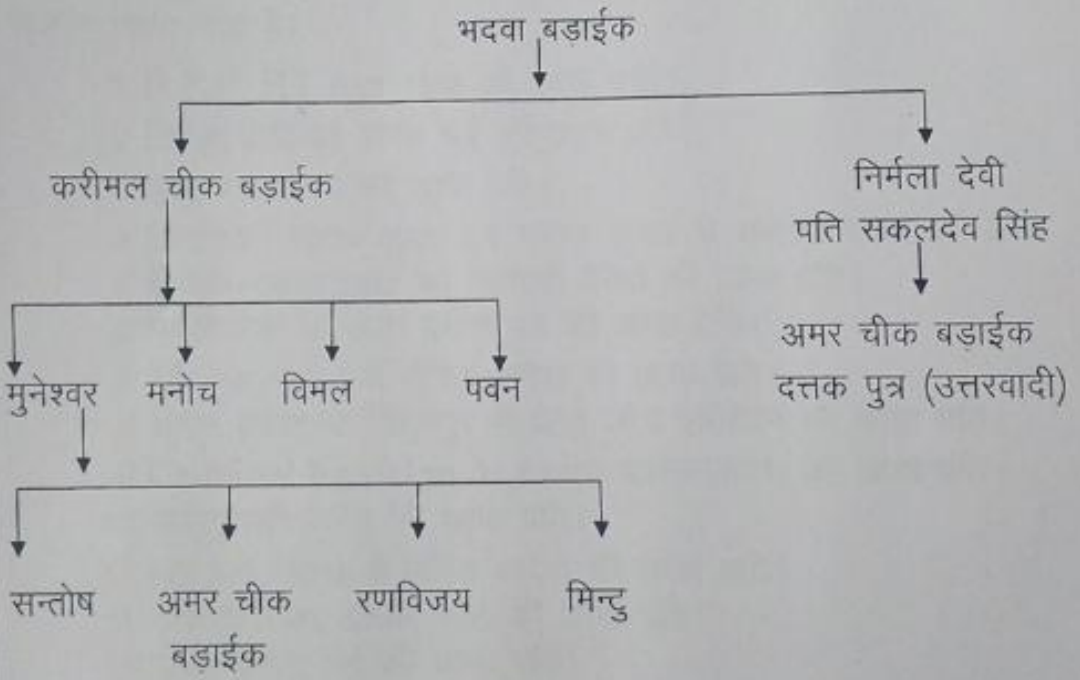

निर्मला देवी तथा सकलदेव सिंह दोनो का देहांत होने पर अमर चीक बड़ाईक द्वारा मृत का सारा कार्यकम किया गया। विवादित जमीन पर उत्तरवादी सपरिवार निवास करते आ रहे है तथा कुछ जमीन खाली है एवं कुछ जमीन पर बने दुकान को किराये के रुप में उत्तरवादी द्वारा संतोष कुमार व मनोज कुमार को दिया है तथा किराया उत्तरवादी प्राप्त करता है। अपीलार्थी बिहार का निवासी है तथा वे सपरिवार बिहार में निवास करते है। विवादित जमीन में उत्तराधिकारी के विषय में दिनांक–09.07.2012 को पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड तथा ग्रामीणों के समक्ष बैठक हुई जिसमें करीमल बड़ाईक के वंशज को उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया है, जो निर्मला देवी के रिस्तेदार है तथा बचपन से दत्तक पुत्र में अमर चीक बड़ाईक को रखा गया है। पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र अमर चीक बड़ाईक को दत्तक पुत्र हाने को सत्यापित करता है। अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला

के न्यायालय में धारा 144 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत M 419/12 जय प्रकाश बनाम मुनेश्वर चीक बड़ाईक वगै0 के बीच चला था जिसमें दिनांक–02.02.2013 को उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। निर्मला देवी एवं सकलदेव सिंह के मृत्यु के बाद उत्तरवादी ही मालगुजारी रसीद कटाता आ रहा है। नाम देहिन्दा में अमर चीक बड़ाईक का नाम दर्ज है। धारा 144 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत ड 290/2019 विजय शंकर सिंह बनाम अमर चीक बड़ाईक एवं संतोष चीक बड़ाईक के बीच चला जिसमें दिनांक–28.08.2019 को उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। अंचल अधिकारी विशुनपुर के जॉच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर उत्तरवादी मकान बना कर सपरिवार निवास करते है। Criminal Revision 31/2019 न्यायालय A.D.J. IV गुमला में विजय शंकर सिंह बनाम संतोष चीक बड़ाईक एवं अमर चीक बड़ाईक के बीच चला जिसमें दिनांक–14.02.2022 को उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। उत्तरवादी के नाम से दाखिल खारिज है तथा रसीद निर्गत होता आ रहा है। उत्तरवादी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0–22/17–18 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1 B.P.P. HT Act 1948 की छाया प्रति।
2 निर्मला देवी का शपथ पत्र की छाया प्रति।
3 मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
4 किरायेदार संतोष कुमार एवं मनोज कुमार से संबंधित छाया प्रति।
5 दिनांक–09.07.2012 को पंचायती बैठक की छाया प्रति।
6 पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
7 M 419/2012 में पारित आदेश की छाया प्रति।
8 अंचल अधिकारी विशुनपुर से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति।
9 Criminal Revision 31/2019 पारित आदेश की छाया प्रति।
10 मालगुजारी रसीद की छाया प्रति।
11 M 290/2019 में पारित आदेश की छाया प्रति।
12 उत्तरवादी का आधार कार्ड की छाया प्रति।
13 जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
14 खाता सं0–51 की खतियान की छाया प्रति।
15 ऑनलाईन रसीद की छाया प्रति।
16 पंजी ii सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
17 वंशावली की छाया प्रति।

उपरोक्त तथ्यों एवं दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुनने एवं समर्पित दस्तावेजों तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन तथाकथित निर्मला देवी को Bihar privileged persons homestead Tenancy Act 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत बन्दोबस्त था अपीलार्थी निबंधित बसीयतनामा दिनांक–31.05.2004 के आधार पर प्रश्नगत जमीन में दावा प्रस्तुत कर रहे है, परन्तु निबंधित बसीयतनामा दिनांक–31.05.2004 सक्षम न्यायालय से Probate नही

6

कराया गया है, साथ ही Bihar privileged persons homestead Tenancy Act 1948 से प्राप्त बन्दोबस्त भूमि हस्तांतरण योग्य नही होता है। अतः अपीलार्थी का प्रश्नगत जमीन में निबंधित बसीयतनामा के आधार पर दावा संपुष्ट नही होता है। दूसरी ओर उत्तरवादी का दावा निर्मला देवी के दत्तक पुत्र के हैसियत से है। निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि वर्त्तमान में उत्तरवादी प्रश्नगत भूमि में अवस्थित मकान में निवास करते है, तथा उसमें बने दुकान को किराया में दिया गया है। जिससे उत्तरवादी का प्रश्नगत भूमि में दखल संपुष्ट होता है, चूँकि दाखिल खारिज का मूल आधार दखल है।

अतः निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए रिवीजन वाद अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति के निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

18.10.22

उपायुक्त,
गुमला

18.10.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.11.23 16:50:21 +05:30
Location: 192.168.82.106